

189 25000Rs.



23/10/2019

2813, 2815 ... 2849

239 - 254-95
x 10^m

17252

$$\frac{1750}{1775}$$

K2EM

23

26.11.55

3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849,

26/01/22

$$\begin{array}{r} \text{2000} \\ + 1000 \\ \hline 3000 \end{array}$$

1. नाम लेख्यकारिणी: श्रीमती छाँव सिन्हा धर्मपत्नी श्री सुधीत कुमार सिन्हा, निवास स्थान मायागंज, धाना कोतवाली पत्रालय बड़ारी, जिला- भागलपुर, भारतीय नागरिक । ---
2. नाम लेख्यधारिणी: श्रीमती मीरा कुमारी धर्मपत्नी श्री राम बाबू सिंह निवास स्थान श्री कृष्ण नगर धाना मोतीहारी, पत्रालय श्री कुवण्डा जिला- पूर्वी बंगाल, भारतीय नागरिक । छाँव सिन्हा

Scanned with CamScanner



: 2 :

3. लेख्य प्रकार : निर्विवाद बिक्रय- पत्र यानि केवाला ब्यला कलामी ।----
4. मूल्य/कम : मो0 90,000/- नब्बे हजार रुपया मात्र । -----
5. सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण : मवाजी ॥ 3.34 कट्ठा ॥ तीन दशमलव तीन चार कट्ठा यानि मवाजी 3 कट्ठा 6 धूर 16 धूरकी सराजी कास्त हीक्यत रेयती कायमी कादो वाके मौजा दानापुर, शाहजादपुर प्रगना फुलवारी धाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री वो जिला पटनाजो अन्दर विकास प्राधिकार क्षेत्र पटना वाके है। अगर मास्टर प्लान के बाहर है तथा भूमि सरकारी राजस्व अभिलेख में कृषि योग्य दिखलाया गया है। जितमें कृषि कार्य हो रहा है। जिसका तोजी नं0- 5407 ॥ पाँच हजार चार सौ सात ॥ धाना नं0-21- ॥ एकड़ ॥ छाता नं0- 454 ॥ चार सौ चौवन ॥ तर्ज छातरा प्लोट नं0- 1556 ॥ एक हजार पाँच सौ छप्पन ॥ का अंश जितका लगान तालाना मो0 1.30पैता आधे शेष । वजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंशधारि दानापुर पटना ।

5/1/2020
2020

जिला - सुप्रीम कोर्ट, राय
डिप्टी जज, राय, अफिमानी रस पावत
23.8.20.



: 3 :

उत्तर	दक्षिण	पूरव	पश्चिम
12 फीट चौड़ा रास्ता बाढ़ है प्लॉट नम्बर 1564	पार्ट प्लॉट नं०-1556 श्रीमती सोना देवी झरोजा खरीदार ।	पार्ट प्लॉट नम्बर 1556 श्री बणजीत पाण्डेय झरोजा खरीदार ।	सर्वे डकर ।

" संदर्भ "

हीकृत यह है कि इत लिख्य- पत्र के खाने नं०-5 में वर्णित तम्पति

को लेख्यकारीणी ने अपनी खात स्वीधन से वजिरिये वीशिका केवाला बयला क्लामी
मरकुमा तारीख 18.9.1973 ई० को नौवस्ते श्रीमती देवरानी देवी तुपुत्री स्पर्णिय
तिपाही भगत स्वं धर्मपत्नी श्री पंथी लाल राय निवात स्थान लुना नया टोला
धाना दानापुर, जिला- पटना से बय खरीद किये है। जिसका पुस्तक संख्या-1,
जिल्द संख्या-52 वास्ते 1974ई० पृष्ठ संख्या 317 से 324 निबंधन संख्या-12491.
निबंधन कार्यालय पटना तद्वर पाके है। वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर
लेख्यकारीणी अपनी क्रय की गई तम्पति मवाजी 10 कट्ठा सराजी पर पहीतयत
तम्पति के मूल तपाधिकारी वो स्वामी वो ह्द्वार वो दखलकार होकर वो रहकर



: 4 :

तम्पति को अपने उपयोग को उपयोग में लाती रही है। वो लेखकारिणी का नम्बर तिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाहन्दी रयत संख्या 895 तन् 1993-94 ई में दर्ज पाया गया है।

यह कि लेखकारिणी के उपरोक्त तम्पति के कृय करने की कृय में लेखकारिणी एवं श्रीमती देवरानी देवी के बीच यह शर्त निर्धारित था की यदि उत्तर तरफ के जमीन मालिक यानि तर्वे प्लोट नं०- 1564 के भू-स्वामी अपने जमीन के दक्षिण 08 फीट चौड़ा जमीन रास्ता के लिए छोड़ें तो लेखकारिणी भी अपने जमीन में से जानिव उत्तर 08 फीट चौड़ा भूमि पूरव से पश्चिम रास्ता के लिए छोड़ें। वो यदि उक्त तर्वे प्लोट नं०-1564 के भू-स्वामी द्वारा रास्ता नहीं छोड़ा गया तो उक्त क्त के खरीदार यानि वर्तमान लेखकारिणी को कृय की गई भूमि में से जानिव उत्तर 12 फीट चौड़ा रास्ता छोड़ना होगा अर्थात् उक्त कृय की गई जमीन में से 12 फीट चौड़ा जमीन घट जायेगा। लेखकारिणी एवं देवरानी देवी के बीच निर्धारित उपरोक्त शर्त की पावन्दी वर्तमान क्रेता वर पूर्व की भाँति होगी।

यह कि लेखकारिणी उपरोक्त तम्पति को बिक्री तीन भाग में कृपा:



: 5 :

26/8/22
अभि निर

मीरा कुमारी एवं रंजीत पाण्डेय एवं तोना देवी के साथ अलग-अलग वीरिका का
द्वारा कर रही है। कुल जमीन मवाजी 10 कट्ठा में से जानिय उत्तर तरफ की
रास्ता के सराजी को पटा कर शेष जो भी सराजी बड़ेगा उत सराजी पर उपरोक्त
वीरित तीनों खरीदार का बराबर बराबर हक वो अधिकार होगा।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अथ फायदेमंद सम्पत्ति के लिये रुपयों
की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने नं०-5 में वीरित सम्पत्ति की बिक्की
लेख्यकारी नहीं करते हैं तब तक रुपयों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्ते
वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है।

अतएव लेख्यकारी ने वही स्थित सम्पत्ति के मूल तपार्थिकारी वो स्वामी
वो ह्द्वार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थस्था में अपने शुभ
चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी
दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं०-5 में
वीरित सम्पत्ति को समयानुसार उचित तुल्य मूल्य मो० 90,000/- नब्बे हजार
रुपया मात्र में लेख्यधारिणी खाने नं०-2 के ब्या वो वयला क्लामी किया वो
लेख्य निष्पादन का तर्ह स्विकार किया।

אברהם בן יצחק

6.12.94

: 2 :

The document is a heavily degraded, high-contrast scan of a page, likely from a book or manuscript. The text is extremely faint and illegible, appearing as dark, blurry shapes against a light background. A prominent circular stamp or seal is visible in the center of the page, containing some indistinct markings. The overall quality is poor, with significant noise and loss of detail.

कैफ़ीकार संबंधी शंका वी कृण भार तरकारी या गैर तरकारी से पूर्ण मुक्त वी
पाक ताफ़ है वी आज तब लेख्यकारी ने खाने न०-५ में वर्णित तम्बाकू को किती
अन्य के साथ किती प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किसे है वी नहीं लिखें है।

वो अगर खेताफ किस्ती प्रकार का अधिकार संबंधी झंडा वो अणु भार सरकारों को
 गैर सरकारी छाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति में बाबा जाय या लेख्यकारी या उनके
 उत्तराधिकारों के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार बक्ष या उनके उत्तराधिकारी
 सम्पत्ति के अंश या कुल भू-भाग से वेदखली कर दिये जाये जिससे किस्ती किस्म के
 कोई क्षति खरीदार बक्ष या उनके उत्तराधिकारों को हो तो वेती हालत में

छरोदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षतिपूर्ति वेकदर वदखली, याजो जो
 वृण भार उनको आया करना पड़े उसे मय तूद पितद मो० ।/- एक स्वया
 माहवारी के हितार्थ से लेख्यकारी या उत्तराधिकारी के अन्यान्य पलापल सम्पत्ति
 से कानूनी कारवाई करके वसूल वो वेवाक कर लेवेंगे । उस वस्तु लेख्यकारी पक्ष को
 किसी प्रकार का उजूर वो सतराज न है न कभी होगा ।

इस वास्ते यह वीशका निर्विवाद सिद्ध- पत्र यान के पाला खयला
कलामी लिख दिया के समय पर काम आवें वो प्रमाण रहें । ॥ समाप्त ॥

टंक

दिनेश कुमार सिन्हा
॥ दिनेश कुमार सिन्हा ॥

तत्पिल कोर्ट दानापुर, षटना ।

4.87
2600
CC

T26.5

On 1. 10. 00

7

$$\frac{17}{12}$$

Copy by
Library

105

181-278

1892

1975

21

11

62-7

Serial No : 3394
Token No : 3464
Type & Status
of Party

Deed No : 2720
of 2012
Name of Party

Photo

Thumb

Index

Middle

Ring

Donee

Meera Kumari @ Meera
Singh

Meera Kumari @ Meera Singh
23.3.2012

Signature of Party

Presented by
Self

Ranjeet Pandey

20/12/2012
23/3/2012

Donor

Signature of Party

Ranjeet Pandey

Signature of Party

Uma Shankar Prasad Singh

Identifier

30/12/2012

23/03/2012

Signature of Party



26/7/12

अंतर मोठे
चावुं प्रति
(जमाकर्ता देव)

रस्ता

2670000
1000

HAPPS 9426D

अंदर मो0----- राशियों में (रु0-----) मात्र
चतुर्थ प्रति (4)
(जमाकर्ता हेतु) बिहार सरकार गैर मानक
निबंधन विभाग

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भूखामी के निबंधन शुल्क के

भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम/पता- जीमती मीरा लुभावी उर्फ मीरा सिंह
(जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है) जसवंत लो व्यापारी छात्रावास जिला पुर्न-चम्पारण
2. दस्तावेज का प्रकार- वैध
3. निबंधन कार्यालय- दादपुर
4. बैंक का नाम एवं शाखा- S.B.I. Chhapra
5. भुगतान की जानेवाली राशी का विवरण :

भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम	कुल रकम
स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष -103- दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना उप शीर्ष 0001 सकल प्राप्तिर्ष प्राथमिक इकाई -75 49 सकल प्राप्तिर्ष विपत्र कोड -R0030021030001, A/c No.-10963226597	211600 211600	211600
निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष -03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष -104- दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क-उप शीर्ष -0001, प्राथमिक इकाई 75 49 सकल प्राप्तिर्ष विपत्र कोड -R0030031040001, A/c No.-10963226576	106800 45	106845
भूखामी शुल्क-मुख्य शीर्ष -0029- भू राजस्व लघु शीर्ष -800- अन्य प्राप्तिर्ष-उप शीर्ष -0006- अन्य मदें - प्राथमिक इकाई -75 49 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड -R0029008000006, A/c No.-10963226598	506 50	550

भुगतान का माध्यम : नगद/ चेक/ ड्राफ्ट

कुल योग

318995

कुल राशि शब्दों में -----

स्थान- दादपुर

तारीख- 21, 3, 12

* चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।

* चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तरित होने के पश्चात ही मान्य होगी

FOR USE OF THE BANK

जमाकर्ता का नाम

एवं हस्ताक्षर

मीरा लुभावी

स्कॉल नं0

तारीख

उपयुक्त कालम

संख्या 05 में दिये गए विवरण के अनुसार रु0

शब्दों में

रुपये प्राप्त किया

प्राधिकृत पदाधिकारी का

हस्ताक्षर एवं मुहर

250

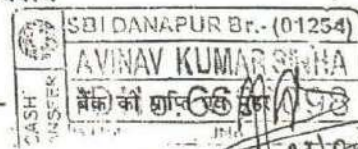
निबंधन हेतु सर्विस चार्ज * जमा करने का विवरण

एस्को लेखा सं0 : A/c No. 30978446198

जमा करने की तिथि :

बैंक स्कॉल सं0:

* (दस्तावेज के पृष्ठ की संख्या +2)X रु0



ह - 157, 195, 197



बिहार BIHAR

H 268396

23012 21/3/12
पति का नाम श्री राम बाबु सिंह, निवास स्थान वो
पत्रालय वो थाना- कोटवा, जिला- पूर्वी चम्पारण,
भारतीय नागरिक।

हस्ताक्षर

- 2 -

2- लेख्यधारिणी का नाम एवं पूरा पता:-

श्रीमती मीरा कुमारी उर्फ मीरा सिंह,
पति का नाम श्री राम बाबु सिंह, निवास स्थान वो
पत्रालय वो थाना- कोटवा, जिला- पूर्वी चम्पारण,
भारतीय नागरिक।

23012 पाठ्य
वा: 23/3/12

3- लेख्य प्रकार:-

वखशीशनामा यानि दानपत्र।

(DEED OF GIFT)



रामावती देवी
उमाशंकर प्रसाद सिंह
मैसूर घाट पटना 23-3-12

4- मूल्यांकन:-

मो०:- 26,70,000/- रुपया (छब्बीस लाख सत्तर हजार
—रुपया) मात्र।

5- सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण:-

मवाजी 3 कट्ठा 6 धुर 12 धुरकी (तीन कट्ठा छः धुर
बारह धुरकी) एराजी परती आवासीय-हकियत कास्त
रैयती कायमी नगदी बाके मौजा- दानापुर शहजादपुर
(बैंक कॉलोनी), परगना- फुलवारी, थाना वो सब
रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना,
जिसकी तौजी नं०- 5407, थाना संख्या- 21
(इक्कीस), खाता संख्या- 454 (चार सौ चौवन), सर्वे
खेसरा प्लॉट संख्या- 1556 (एक हजार पाँच सौ छप्पन)
में एराजी 3 कट्ठा 6 धुर 12 धुरकी।

“ चौहदी ”

उत्तर : बारह फीट का रास्ता।

दक्षिण : अमरेन्द्र नारायण शर्मा।

पुरब : पार्ट प्लॉट नं०- 1556

पश्चिम : लेख्यधारिणी एवं सोना देवी।



सदी 2 जी.आ.डि.य
तो 23/03/2012

उमाशंकर प्रसाद सिंह
पिता-सुखदेव सिंह
302, मैथिली विहार, मैथिली पथ,
स्वाजपुरा, बेकरी रोड, पटना-800034
दिनांक-23/03/2012

भूमि का वार्षिक लगान मो०- 2/- रुपया अलावे शेष
बजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर (पटना)
वाके है। जमाबन्दी नं०- 4667 वर्ष 2010-2011 ई० है।

“ संदर्भ ”

विदित हो कि खाना नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति लेख्यकारी
की बैय खरीदगी सम्पत्ति है जिसे लेख्यकारी ने दिनांक-
27/04/1995 ई० को नविस्ते श्रीमती छवि सिन्हा पति का
नमा श्री सुशील कुमार सिन्हा, साकिन- मायागंज, थाना-
कोतवाली, पत्रालय- बरारी, जिला- भागलपुर, से बैय खरीद
किया है। जिसका बुक नं०- 01, जिल्द नं०- 131, पेज नं०-
53 से 72 वसीका नं०- 1929 सन् 1995 ई० निबंधन) कार्यालय
दानापुर वाके है। बैय खरीदगी के रोज से ही लेख्यकारी खाना
नं० 5 मे वर्णित सम्पत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के साथ काबिज
दखिल वो अधिकृत होकर वो रहकर उपभोक्ता स्वरूप हर तरह
से उपभोग करते चले आ रहे है वो है। और बिहार सरकार के
जमीन्दारी विभाग की पुस्तिका में लेख्यकारी अपने नाम से
जमाबन्दी नं०- 4667 पर नाम दर्ज कराकर साल दर साल
मालगुजारी की रसीद कटाते चले आ रहे हैं। खाना नं० 5 हर
तरह के झगड़ा इंड्रस्ट से शुद्ध पवित्र वो ऋणमुक्त है।

सुशील कुमार सिन्हा
01/23/3/092



यह कि लेख्यधारिणी, लेख्यकारी के अपने सगे साला के पत्नी है। लेख्यधारिणी को लेख्यकारी बहुत प्यार-मोहव्यक्त करते हैं एवं लेख्यधारिणी के साथ लेख्यकारी का बहुत ही अटुट प्रेम है वो अटुट रिस्ता चला आ रहा है लेख्यधारिणी लेख्यकारी के साथ रहते चले आ रहे हैं इसलिए लेख्यधारिणी एवं लेख्यकारी के बीच आत्मयिक सम्बन्ध है। लेख्यकारी लेख्यधारिणी के प्रेम के चलते हमेशा प्रसन्नचित रहा करते हैं और लेख्यधारिणी का भविष्य हमेशा उज्ज्वल रहे लेख्यकारी की ऐसी कामना रहती है। और बख्शीशनामा में खर्च को लेख्यकारी स्वयं वहन कर रहे हैं। लेख्यकारी के साथ लेख्यधारिणी रहते हैं इसलिए इनकी दिली खाहिश हुई कि अपने जीवन काल में ही खाना नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति का पूर्ण मालिक मुस्तकील अधिकारी लेख्यधारिणी को बना दूँ। इसलिए लेख्यकारी कानूनी मशविरा लिया वो अपने शुमचिन्तको से भी सलाह मशविरा किये वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बख्शीशनामा (दानपत्र) द्वारा लेख्यधारिणी को मालिक अधिकारी वो दखलकार बना दूँ। यह कि जीवन और मौत को कोई नहीं जानता इस नश्वर शरीर से प्राण पखेरू कब निकल जायें इसलिए लेख्यकारी ने लेख्यधारिणी को बख्शीश देना उचित वो मुनासीब समझा। इस तरह से लेख्यकारी इस प्रस्ताव को (बख्शीश देना) लेख्यधारिणी के समक्ष रखा जिसे बख्शीश लेना लेख्यधारिणी सहर्ष स्वीकार किया। इस तरह से खाना नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर आज के रोज से लेख्यकारी अपना कुल

सही 2012 पाईय
ता 20/3/09र



कब्जा दखल वो अधिकार लेख्यधारिणी को दिया कि लेख्यधारिणी खाना नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के साथ कब्जा दखल वो अधिकृत होकर हर तरह से उपभोग करे और खाना नं० 5 पर जो भी लेख्यकारी का हक अधिकार वो स्वामित्व प्राप्त है या भविष्य में होता कुल हक अधिकार वो स्वामित्व इस दानपत्र के माध्यम से लेख्यधारिणी को प्राप्त हुआ। खाना नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर लेख्यकारी का किसी भी तरह का हक अधिकार वो स्वामित्व नहीं रहा। लेख्यधारिणी जैसे चाहे खाना नं० 5 पर अपने उपयोग वो उपभोग में लावे एवं जहाँ-जहाँ जरूरी समझे सक्षम कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा लेवे वो बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग की पुस्तिका में भी लेख्यधारिणी अपना नाम दर्ज करा लेवेगी। इसमें लेख्यकारी को किसी भी तरह का उजुर एतराज नहीं है ना ही भविष्य में वारिसान उत्तराधिकारी या संगे सम्बधियों को ही होगा।

यह कि लेख्यकारी लेख्यधारिणी को बहुत लार दुलार मोहब्बत करते है। इसलिए लेख्यधारिणी प्यार मोहब्बत के चलते खाना नं० 4 में दर्ज मूल्यांकन के लेख्यकारी माफ कर दिये है।

यह कि इस वशिका बख्शीश (दानपत्र) निष्पादन के बाद यदि लेख्यकारी खाना नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर हकियत संबंधी किसी भी तरह का दावा दावी रखते है या पेश करते है तो वह गैर कानुनी वो गलत होगा वो अदालत में बातिल समझ जावेगा वो अमान्य होगा।



महाराष्ट्र
12/3/092

- 7 -

अतएव लेख्यकारी अपनी इच्छा वो मन्त्र की स्वतन्त्रता से शुद्ध चीत होकर राजी खुशी से होश हवाश में रहते हुए अपनी हानि वो लाभ को बखुबी सोंच विचारकर स्वस्थ मानसिक अवस्था में बिना किसी डराव वो धमकाव के यह बख्शीशनामा का लेख्यपत्र लेख्यधारिणी के नाम से लिख दिया कि समय पर काम आवें वो प्रमाण रहे।

दिनांक—

mira kumari alis
mira Singh



प्रारूपकर्ता
1/12/2012
लिखित कार्यालय
1/12/2012-4/12
लखनऊ

सही 2 दिनांक
11/23/3/092

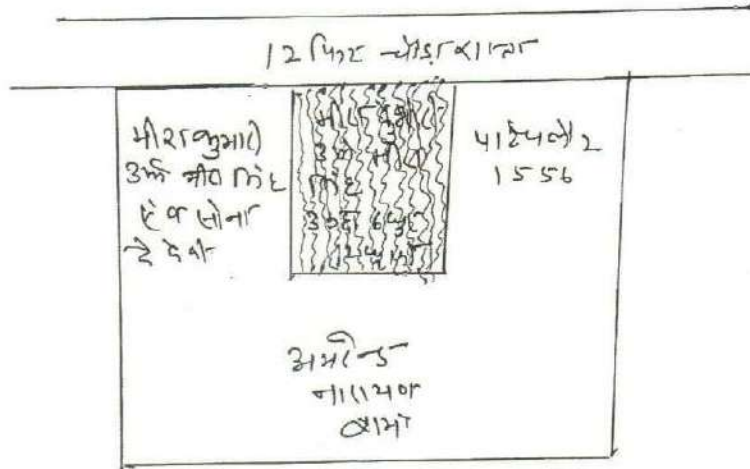
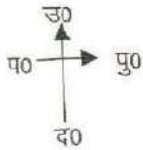
अनुमान के आधार पर नजरी नक्शा

नाम बिक्रेता- श्री रंजीत पाण्डेय पिता का नाम स्वर्गीय भारती पाण्डेय, निवास स्थान-
महथदा, थाना- पीपरा कोठी, जिला- पूर्वी चम्पारण

नाम क्रेता - श्रीमती मीरा कुमारी उर्फ मीरा सिंह, पति का नाम श्री राम बाबु सिंह, निवास स्थान
वो पत्रालय वो थाना- कोटवा, जिला- पूर्वी चम्पारण

मौजा- 21 नं० ५४, थाना- ३१ नं० ५८, तौजी नं०- 5407, थाना नं०- 21, खाता
नं०- 454 प्लॉट नं०- 1556 एराजी 3566 695 124/57

यह कि नजरिया नक्शा पक्षकारों द्वारा दिया जा रहा है जो लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रमाणित
किया जाता है कि नजरिया नक्शा में प्ररनगत भूखण्ड 50 मी० त्रिज्या के अन्दर भूमि की
विशेषताएं एवं अन्य विशेषताओं को दर्शाया गया है।



बिक्रेता का हस्ताक्षर

रंजीत पाण्डेय
21/23/3/092

क्रेता का हस्ताक्षर

मीरा कुमारी / Alis
मीरा सिंह



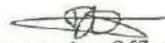
Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule - 35)

Admissible under Rule 21 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 33. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 160200
Addl. Stamp duty paid under RDA/Municipal Act Rs. 53400
(Paid Rs. 2000/- by N.J. Stamp Paper and Rs. 319245/- through Bank Challan.)

FEE PAID	A1	106800	C	0 H1b	0 Ka1	0 Lii	0 LLR
	A8	0	D	0 H2	0 K1b	0 Liii	0 Proc. Fee
	A9	0	DD	0 I	0 K1c	0 Mb	0
	A10	0	E	0 J1	0 K2	0 Na	45
	B	0	H1a	0 J2	0 Li	0 Scan	250

500 Total Fee
50 107645


Registering Officer
Danapur

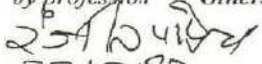
Date : 23/03/2012

Endorsement under section 52

Presented for registration at 11:16 AM on Friday, 23rd March 2012 at the Sub
Registry Office, Danapur by Ranjeet Pandey

(Donor) Late Bharti Pandey

by profession Others.


23/3/12
Signature of Presentant

Date: 23/03/2012


Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument and are identified by Uma Shankar Prasad Singh age Sex M son/daughter of Late Chandradeo Singh resident of 302, Maurya Vihar, Maurya Path, Khajpura, Patna.


Registering Officer
Danapur

Date : 23/03/2012

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book 1 of DSRO/ SRO Danapur having 10 pages, in the volume CD-8 and document no. of which is printed on the First Page of the document.


Registering Officer
Danapur

Date : 23/03/2012

Token No. 3464 Year - 2012 SI.No. 1394 SCORE Ver. 2.0 Deed No. 2720 NIC-Bihar



SCANNED


Checked by

Scanned with CamScanner



मु. 3 अगस्त 1960
पा. 1 द. 20/11

2314, 2316 264-95
235 25.485
Ken

3600-
1000-
450-
250-
d 1/2
378-62

13250
4520
17955

20/11/60 264-614 264/1-104

को. 10/10/60 264-614 264/1-104

म. 10/10/60 264-614 264/1-104

1. नाम लेख्यकारणी: श्रीमती छवि सिंह धर्मपत्नी श्री तुषील कुमार सिंह, निवास स्थान मायागंज, धाना कोटवाली, पत्रालय बहारी, जिला- भागलपुर, भारतीय नागरिक। -----
2. नाम लेख्यधारणी: श्रीमती तोना देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय भगोपाल सिंह निवास स्थान कोटवा धाना कोटवा, जिला- पूर्वी चम्पारण, भारतीय नागरिक। --

1750



पटना 1750

77
6.12

श्रीमती हिता देवी
[...]

श्रीमती चन्द्रिका
[...]

श्रीमती चन्द्रिका
[...]

श्रीमती चन्द्रिका
[...]

श्रीमती चन्द्रिका
[...]

श्रीमती चन्द्रिका
[...]

श्रीमती चन्द्रिका
[...]

श्रीमती चन्द्रिका
[...]

श्रीमती चन्द्रिका
[...]

श्रीमती चन्द्रिका
[...]

Ex. 105. Vol. 1755

श्रीमती चन्द्रिका
[...]

1- Vol. 11 1955

श्रीमती चन्द्रिका
[...]





: 2 :

3. नाम लेख्य प्रकार : निर्विवाद बिक्रय- पत्र यानि केवाला ब्यता कलामी। ---

4. मूल्यांकन : म० 90,000/- नब्बे हजार स्वया मात्र। ---

5. सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण।

मवाजी ॥ 3.33 कट्ठा ॥ तीन दशमलव तीन तीन कट्ठा यानि मवाजी ॥ 3 कट्ठा 6 धूर 12 धूरकी ॥ तीन कट्ठा छव धूर बारह धूरकी पराजो कास्त हीक्यत रैयती कायमी नगरी वाके मौजा दानापुर, शहजादपुर, प्रगना मुलवारी, याना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, तदर रजिस्ट्री वो जिला बटना, जो अन्दर विकास प्राधिकार क्षेत्र बटना वाके हे।

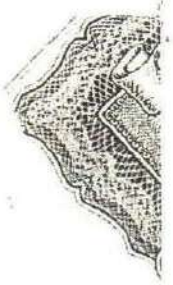
मगर मास्टर प्लान के बाहर है तथा भूमि सरकारी राजस्व अभिलेख में कृषि योग्य दिखलाया गया है। जिसमें कृषि कार्य होरहा है जिसकी तोजी नम्बर-5407॥ पाँच हजार चो सात। याना नं०-21-॥ एकइस॥ खाता नं०-454॥चार सौ चौवन॥ तर्वे छतरा प्लोट नं०-1556 ॥ एक हजार पाँच सौ छप्पन॥ का आ जिसका लान तालाना म० 1.30 बेटा अलावे शेष वजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अपलाधिकारी, दानापुर, बटना।

25/12/2019
रजिस्ट्रार

जगदीश - सुधीर कुमार राय
विभागाध्यक्ष, आवास, शहजादपुर, बटना।
25.12.2019



17757
Cedric J. Smith
DATE: 10-10-10
TIME: 10:10
PLACE: 10:10
SIGNED: [Signature]
UNIT: 10:10



5000Rs.



: 3 :

उत्तर	दीक्ष	पूरण	प्राश्चम
पार्ट प्लोट नं०-1556.	तर्व प्लोट नं०-1565.	पार्ट प्लोट नं०-1556 श्री रणजीत पाण्डेय झरोजा खरीदार।	तर्व झार।
श्रीमती मीरा कुमारी झरोजा खरीदार।			

" संदर्भ "

-----0-----

होकर यह है कि इस बिजनेस-पत्र के छाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति को लेख्यकारिणी ने अपनी छात स्त्रीधन से वर्णित प्राश्चम केवाला ब्यलाकलामी मरकुमा तारीख 18-9-1973 ई० को नविस्ते श्रीमती देवरानी देवी सुबुत्री स्वर्गीय त्रिपाही भगत एवं धर्मपत्नी श्री पंछी बाल राय, निवात स्थान लुगना नया टोला थाना दानापुर, जिला- पटना से बय खरीद किये है। जिसका पुस्तक संख्या-1, जिल्द सं० 52 वास्ते 1974 ई० पृष्ठ संख्या-319 से 324 निबंधन संख्या-1249। निबंधन कार्यालय पटना सदर वाके है। वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर लेख्यकारिणी अपनी कृय की गई सम्पत्ति मवाजो 10 कट्ठा सराजी पर वर्धितयत सम्पत्ति के मूल तवर्गिकारी वो स्वामी वो हक्दार वो दखलकार होकर वो रक्कर सम्पत्ति को अपने उपयोग वो उपभोग में लाती रही है वो लेख्यकारिणी का नम्बर नीतिरस्ता बिहार सरकार

2000Rs.



: 4 :

के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रयत संख्या-895तन् 1993-94 ई0 में दर्ज पाया गया है।

यह कि लेखकारिणी के उपरोक्त तम्पत के कृय करने की क्रम में लेखकारिणी एवं श्रीमती देवरानी देवी के बीच यह शर्त निर्धारित पाकी यदि उत्तर तरफ के जमीन मालिक यानि सर्वे प्लोट नं0-1564 के भू-स्वामी अपने जमीन के दक्षिण 08 फीट चौड़ा जमीन रास्ता के लिए छोड़ी तो लेखकारिणी भी अपने जमीन में से जानिय उत्तर 08 फीट चौड़ा भूमि पूरव से बहिष्कृत रास्ता के लिए छोड़ी। वो यदि उक्त सर्वे प्लोट नं0-1564 के भू-स्वामी द्वारा रास्ता नही छोड़ा गया तो उक्तवक्त के खरीदार यानि वर्तमान लेखकारिणी को कृय की गई भूमि में से जानिय उत्तर 12 फीट चौड़ा रास्ता छोड़ना होगा अर्थात् उक्त कृय की गई जमीन में से 12 फीट चौड़ा जमीन घट जायेगा। लेखकारिणी एवं देवरानी देवी के बीच निर्धारित उपरोक्त शर्त की पावन्दो वर्तमान क्रेता पर पूर्व की भांति होगी।

यह कि लेखकारिणी उपरोक्त तम्पत की बिक्री तीन भाग में क्रमशः मीरा कुमारी एवं रणजीत पाण्डेय एवं सोना देवी के साथ अलग-अलग बहिष्कृत द्वारा कर रही है। कुल जमीन मवाजी 10 कदठा में से जानिय उत्तर तरफ की रास्त

750Rs.



: 5 :

रास्ता के सराजी को घटा कर शेष जो भी सराजी बटेगा उत सराजी पर उपरोक्त वर्णित तीनों खरीदार का बराबर बराबर हक वो अधिकार होगा ।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अन्य फायदेमंद सम्पत्ति के लिये स्पर्षों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री लेख्यकारी नहीं करते हैतब तक स्पर्षों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है ।

अतएवं लेख्यकारी ने वर्तमान सम्पत्ति के मूल स्वामिधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलदार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्वस्था में अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि ले कर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित तुल्य मूल्य मो० १०,०००/- नब्बे हजार रुपया मात्र में लेख्यकारी खाने नं०-2 के बेषा वो वपला क्लामो किया वो लेख्य निष्पादन का का तर्ह स्वीकार किया ।

मूल्य के कुल स्पर्षों को लेख्यकारी ने लेख्यकारी से इस तौर से वसूल पाया कि - कुल निष्पादन इस्तामार्क सर्वोच्च वेक ५५२३११ अस्तु

दस्तावेज

खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारीगण को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहेगा ये सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल के कुल स्वयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति पर वर्तमान सम्पत्ति के मूल स्वामीधकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपयोग में लावे वो नाम अपनी वजाय लेख्यकारी के प्रतिरस्ता बिहार सरकार के जमींदारी विभाग में इस बिक्रय- पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेंगे। उस वक्त लेख्यकारी पक्ष को किसी प्रकार का कोई उजूर वो स्तराज न है न कभी होगा वो यदि लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारीगण किसी गलत बयान से किसी किसी के दावा उजूरदारी निस्वत सराजी मजकुर जरे सम्मन मजकुर के करें तो, उनकी उजूरदारी या दावा कसोकावले वीरका बिक्रय- पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा।

लेख्यकारी श्री बिक्रेता ने लेख्यकारी बिक्रेता के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये है और विश्वास दिलाये है कि खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो झग झार सरकारी या गैर सरकारी से पूर्ण मुक्त वो पाक ताफ है वो आज तक लेख्यकारी ने खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये है। वो नहीं लिखें है। वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो झग झार सरकारी वो गैर सरकारी

24/8/22
25/8/22

खाने नं०-5 में परिचित सम्पत्ति में पाया जाय या लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकार के हस्तक्षेप के पक्षस्वस्थ खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण सम्पत्ति के अंश या कुल भू-भाग से वेदखली कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई भी खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो ऐसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षति पूर्ति वेकदर वेदखली या जो जो रूप भार उनको अदाय करना पड़े उसे मध्य कूट फिस्तद मो० 1/- एक रुपया माहवारी के हिसाब से लेख्यकारी या उत्तराधिकारीगणके अन्यान्य पलायन सम्पत्ति से कानूनी कारवाई करके पसूल वो पेवाक कर लेवेगें। उस वक्त लेख्यकारी पक्ष को किसी प्रकार का उज्जर वो स्तराज न है न क भी होगा।

इस वास्ते यह वीशका निर्विवाद लिख्य पत्र यानि केवाला बयला क्लामी लिख दिया के समय पर काम आवें वो प्रमाण रहें। ॥ समाप्त ॥

टंकक

दिनांक 21/04/2021
॥ दिनेश कुमार सिन्हा ॥
सिविल कोर्ट दानापुर, पटना।

लेखक उदय कुमार सिन्हा निवास
स्थान रामप्रसाद नगर, दानापुर
थाना दानापुर, जिला पटना, बंगला
देश। निम्नलिखित पक्षों के हितों
रक्षण के लिए वकील सहाय
में की गई है। निम्नलिखित पक्षों
नार बंद रहे। निम्नलिखित पक्षों
अलग है निम्नलिखित पक्षों
सभी पक्षों के हितों

from

100

121

130

189-184

1891

1935

6-2-7

100

6-2-7